

217/90-91

आदेश

निकामी पदाधिकारी का न्यायालय चाल

अलीमुद्दीन युसुफी

वेक मुकदमा संख्या 10/91-92

12

10/9-92

क्रमांक	तिथि	93/91	आदेश एवं हस्ताक्षर 217/90-91	18/9/91	को गयी कार्यवाही की तिथि
1	2	5/10/91		7/9/91	4

5/10/91

~~65/06~~

प्रबन्धक, मार्गीय 217/90-91 के नाम से शास्त्र अनवाद, अपने विद्वान अधिवक्ता/प्री एस० एन० राय ने अपने अधिवाचन संख्या 10/91-92 के द्वारा देनदार अलीमुद्दीन युसुफी के प्रिया - शक्तिल दुष्यारी ग्राम नं. नुकिया डी० टीला नं. शरीर ग्री० नं. नालूकिया ग्री० लोको के विरुद्ध बकाया शाशि 5402 - 85 वसूल हेतु अधिवाचन पत्र दाखिल किया गया है। इनके द्वारा एक अवेदन भी दाखिल किया गया है जिसमें फी दाखिल करने वास्ते समय की मांग की गयी है।

अधिवाचन पत्र परिपूर्ण है एवं बकाया शाशि देनदार से बसूली योग्य है। अतः देनदार के विरुद्ध धारा 7 पी० डौ० आर० ऐक्ट के अधीन विधिवत सूचना जारी करें। विद्वान अधिवक्ता को आदेश दिया जाता है कि "कोर्ट फी" अविलम्ब प्राप्त कर न्यायालय में दाखिल करें। सूचना के ताबिला प्रतिवेदन के साथ दिनांक को प्रस्तुत करें भास्टर को भी सूचित करें।

अलीमुद्दीन युसुफी वारा 7/9/91
मिर्जा वेर्षिंग 26/9/91 वो वर्ते।

निकाम पद०
चाल।

1-8/91

30/10/2017

M/1
115-7Date
2017

द्वैक प्रमाण पत्र मुकदमा संख्या - 1019192

- आटेगा फ्लक -

126-8-9

अनुमंडल पदाधिकारी, चात के ज्ञापांक 936 दिनांक 27.7.91 में निहित आदेश के आतोंक में इस प्रमाण पत्र मुक्तमा को घोकारो जिला में स्थानान्तरण करने हेतु मूल स्थ में अनुमंडल कार्यालय, चात में भेजा जाता है।

निलाम पत्र पदाधिकारी,
चातु ।

प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय शाखा बोकारो के ब्लापांक 57/गो० दिनांक 15.6.91 एवं उपायुक्त, धनवाद के पत्रांक 73 दिनांक 18.7.91 में निहित आदेश के आलोक में इस निलाम पत्र मुद्रितमा को जिता स्तर पर निष्पादन करने हेतु उप समाहत्ता प्रभारी, जिता प्रसारण शाखा, बोकारो के पास अग्रेतर कार्रवाई हेतु मूल में भेजा जाता है।

अनुमंडल दण्डाधिलारी
गह
निलाम पत्र पदाधिलारी,
चास ।

19-971

गुरुद्वारा ददाखिकारी, दादा हे वर्षांक 1000

ग्रंथालय 16-8-91 रवारक, बोकारो

● लादेश इंवांज 100 दिनांक 17-१-१9

ଦ୍ୱାରା ଅନିଲେଖି ହିଟାକାରୀ ହେଲାଏହିବୁଆ

इसे पंजीकृत करना चाहिए।

ਪੰਜਾਬ 25-9-71 ਪਾਇ

BRITISH MUSEUM

संस्कृतम्

25-491

CF द्वारा दिए गए विवरण
क्रमांक 31103/सिव्हिएफ

31-10-91

ମୁଖ୍ୟ

5-2-92

इत्याल छक्की के बाद अभियाल
 आज अनुसूत विवाहित थी गोद्या
 का अनुप्रालन कर्त्ता
 नं. ४५८२ ग्राम ५५९२ नं.
 ८२९
 डिलिक्टिव नं. ५५९२ नं.
 अभियाल

18-8-92

उपर्युक्त आदर्श वर्ष अनुप्रालन कर्त्ता गोद्या
 २७-७-९२ के दृष्टि

235

18-8-92

गोद्या प्राप्त

11-7-92

CASE TRANSFERRED TO
 Sri S. N. Sahay, Executive
 Magistrate, CHAS
 By Magistrate D. C. Bokaro
 M. No. 640 Dt. 24-6-94

Certificate Officer
 BOKARO

29/11/95

जिल्हालय के दसवे प्राप्त
 कर्त्ता विवाहित करें। देनदार
 को नं. ५० प्राप्ति देने हेतु
 विवाहिती नोटिश जारी करें।

0 0 0

16/6/95

नं. ५० प्राप्ति (चाल)

Transfer to Sri. C.I.O. Chandauli
 D.O. C.I.O. Chas Memo No.
 11 D.L. 26-3-2000 for Disposal.

Certificate Officer
 Chas

Form No. 44

FORM NO. 1.

CERTIFICATE OF PUBLIC DEMAND FILLED IN THE OFFICE OF THE CERTIFICATE
OFFICER OF Chas.
(Section 4 and 6 of the Bihar and Orissa Act IV of 1914)

No. of Certificate	Name and address Certificate holder	Name and Address of the certificate debtor	Amount of Public demand (including Interest if any including the fee paid under Sec 5 Sub Sec (2) if any) for which this Certificate is signed and period for which such demand is due	Further Particular of the Public demand for which this certificate Signed
1	2	3	4	5
/90-91	State Bank of India, Natundi.	Alimuddin Ansari S/o. Sakil Ansari At- Nuniadhi, Tola- Beratand, P.O.- Chandan Kary Dist- Bokaro. (Borrower)	Rs. 4,402.85 (Rupees four thousand four hundred two and paise eighty five only + further accrued interest w.e.f. 1.4.91 + other Misd. Expn.	 For State Bank of India Mr. Muni. L. S. Natundi Br

I here by certify that the above mentioned sum Rs. 4,402.85

is due to the above named C. dr. from the above named. (if the certificate is Signed on requisition sent under section 5 and) I further certify that the above named sum of Rs. 4,402.85 is mostly recoverable and that its recovery suit is not Barred by law.
Dated this day of 19


Certificate officer